

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल1 -29/2018-421(17) पटना, दिनांक :- 25.06.18

डा० स्नेहिल, सीनियर रेजिडेंट, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के दिनांक 4.8.2017 से दिनांक 2.2.2018 तक की अनुपस्थिति अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :

1. दिनांक 4.8.2017 से दिनांक 30.1.2018 तक - कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (बिहार सेवा संहिता के नियम 220 (ख) के अनुसार)
2. दिनांक 31.1.2018 से दिनांक 2.2.2018 तक - कुल 03 दिनों का उपार्जित अवकाश। (बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 248 के अनुसार)
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(विवेकानन्द ठाकुर)  
सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक- सं० सं०-17/आरोप -02/2018-421(17) पटना, दिनांक :- 25.06.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (बै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/ डा० स्नेहिल, सीनियर रेजिडेंट, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा-02, 03 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।